"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016— भाद्रपद 11, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्रमांक 8337/डी. 218/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-08-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 30 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्र. 11 सन् 2010) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्र. 11 सन् 2010) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**3. शास्ति.** - (1) जो कोई, चिकित्सा सेवा संस्थान के किसी चिकित्सा सेवक के कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसके जीवन को संकटापन्न या उसे कोई हानि, क्षति, आपराधिक अभित्रास, बाधा या अवरोध या सम्पत्ति जो 1000/- रुपये से अधिक हो की हानि, कारित करता है, वह हिंसा का कृत्य करता है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा.

(2) जो कोई, या तो स्वयं या किसी व्यक्तियों के समूह या संगठन का सदस्य के रूप में या नेतृत्व करते हुए, अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण या उद्दीपन करता है, तो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जायेगा तथा नुकसान किये गये चिकित्सा उपकरण के क्रय मूल्य की वास्तविक राशि तथा किसी सम्पत्ति को कारित हानि के लिए, ऐसी शास्ति के लिए भी दायी होगा, जैसा कि सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाये."

धारा 4 का विलोपन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 का लोप किया जाये.

धारा 5 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "जमानतीय" के स्थान पर, शब्द "अजमानतीय" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्रमांक 8337/डी. 218/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संख्यक अधिसूचना दिनांक 02-09-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 30 of 2016)

THE CHHATTISGARH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE OR LOSS TO PROPERTY) (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act to amend the Chhattisgarh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act, 2010 (No. 11 of 2010).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. For Section 3 of the Chhattisgarh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act, 2010 (No. 11 of 2010) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :-

"**3. Penalty.-** (1) Whoever, endangers the life of or causes any harm, injury, intimidation, obstruction or hinderance to any medicare service person in the discharge of duty or damage in excess of Rs. 1000/- to any property in medicare service institution, commits an act of violence which shall be an offence under this Act.

(2) Whoever, either by himself or as a member or as a leader of group of persons or organization commits or attempts to commit or abets or incites the commission of offence, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to penalty of actual amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to any property as may be determind by the Competent Court."

Omission of Section 4.

3. Section 4 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 5.

4. In Section 5 of the Principal Act, for the word "bailable", the word "non-bailable"shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.